भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या. 296
दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

विलवणन इकाइयों की स्थापना

296. श्री के॰ एन॰ बालगोपालः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विलवणन इकाइयों की स्थापना के माध्यम से पेयजल परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजनाएं हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन इकाइयों की स्थापना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 296 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल सुविधाएँ, जिनमें विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना शामिल है, उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के तहत ग्रामीण जलापूर्ति से जुड़े राज्य के विभागों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता करता है। राज्यों को आबंटित एनआरडीडब्लूपी निधियों के 67 प्रतिशत तक का उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एनआरडीडब्लूपी निधियों का 5 प्रतिशत उन राज्यों के लिए चिन्हित और आबंटित किया गया है, जहाँ पीने के पानी में रासायनिक संदूषण की समस्याओं का सामना किया जा रहा है और जहाँ तीव्र एनसैफलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं।

विलवणीकरण संयंत्रों सहित जलापूर्ति परियोजनाओं की योजनाएं बनाने, डिजाइन करने, स्वीकृत करने, कार्यान्वयन और प्रचालन करने की शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित की गई हैं। विलवणीकरण संयंत्र सहित प्रत्येक परियोजना का विवरण केवल राज्य स्तर पर ही रखा जाता है। तमिलनाडु जल सप्लाई एवं जल निकास बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-1999 के दौरान भारत सरकार से 75 प्रतिशत अनुदान के वित्त पोषण ढांचे से और मैसर्स भेल से ब्रिज वित्त के रूप में 25 प्रतिशत वित्त पोषण से रामानाथपुरम में 18 विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों का विवरण अनुलग्नक-I पर है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार ने रामानाथपुरम और तूतूकुडी में एक-एक 100 एमएलडी विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है जो 24.11 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल का लाभ पहुंचाने हेतु डिजाइन किया गया है और सरकार ने 18.6.2014 को मैसर्स तमिलनाडु जल निवेश कंपनी लिमिटेड के द्वारा जांच करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति दी है, साथ ही जिसमें पर्यावरण से पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यपरक अध्ययन शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, लक्षद्वीप, कावारट्टी, मिनिकाय तथा आगट्टी के द्वीपों में 1.0 लाख लीटर की क्षमता के 3 (तीन) कम तापमान वाले तापीय विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए गए थे।

(ग) एवं (घ) विलवणीकरण संयंत्रों से नमक-जल के निपटान संबंधी समस्याएं खड़ी होती हैं और इसलिए पर्यावरण से पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन किया जाना जरूरी है ताकि यह प्रमाणित हो सके कि नमक-जल का निपटान सुरक्षित ढंग से हो सकता है अथवा नमक-जल का निपटान विलवणीकरण संयंत्र के आस-पास के क्षेत्र में स्थानीय परिस्थिति एवं पर्यावरण पर बहुत कम या नाममात्र का प्रभाव पड़ेगा। मंत्रालय ने इन संयंत्रों की स्थापना के संबंध में न तो कोई प्रभावगत मूल्यांकन किया है और न देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट अभी तक इस मंत्रालय में प्राप्त हुई है।

***

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 296 के पैरा (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक -I

तमिलनाडु राज्य में स्थापित विलवणीकरण संयंत्रों की सूची

क्र.सं.	सीडब्लूएसएस का नाम	चालू होने का वर्ष	बसावटों की कुल संख्या	डिजाइन की गई मात्रा (एमएलडी में)
1	2	3	4	5
1	रामानाथपुरम जिले में करूमल और 2 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1994	1	0.020
2	रामानाथपुरम जिले में पूसेरी और 1 अन्य बसावट के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1994	2	0.020
3	रामानाथपुरम जिले में कुंडुकुलम और 2 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1993	3	0.020
4	रामानाथपुरम जिले में करीसलपुली और 1 अन्य बसावट के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1994	2	0.008
5	रामानाथपुरम जिले में वान्नीयाकुडी और 1 अन्य बसावट के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1990	2	0.020
6	रामानाथपुरम जिले में सेरंथई और 3 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1991	4	0.020
7	रामानाथपुरम जिले में किदथिरुक्कई और 3 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1997	4	0.020
8	रामानाथपुरम जिले में सिक्कल और 2 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1992	3	0.050
9	रामानाथपुरम जिले में कीलापारुथियूर और 2 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1997	3	0.020
10	रामानाथपुरम जिले में कीलमबल और 1 अन्य बसावट के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1997	2	0.020
11	रामानाथपुरम जिले में उराथुर और 3 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1996	4	0.030
12	रामानाथपुरम जिले में पोट्टागावायल और 5 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1999	6	0.150
13	रामानाथपुरम जिले में नरिप्पैयूर और 103 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1999	104	1.300
14	रामानाथपुरम जिले में नल्लीरूक्कई और 4 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1990	5	0.030
15	रामानाथपुरम जिले में उर्थीरागोसामंगई बसावट के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1997	1	0.050
16	रामानाथपुरम जिले में पानईकुलम और 20 अन्य बसावटों के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1999	21	0.150
17	रामानाथपुरम जिले में पेरंगुलम बसावट के लिए विलवणीकरण संयंत्र	1996	1	0.020
18	रामानाथपुरम जिले में रामनद नगरपालिका के लिए कोसावनकुडी बसावट में विलवणीकरण संयंत्र	1999	1	0.150
			169	**2.098**